फा.सं.45/03/2014-एफएफ(पी)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग

दूसरा तल, एनडीसीसी-।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
दिनांक :30 दिसम्बर 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत आश्रित परिवार पेंशन – नीति की समीक्षा के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के सभी संवितरक प्राधिकारियों को संबोधित इस मंत्रालय के दिनांक 13.10.2000 के पत्रांक 8/2/98-एफएफ(पी) के प्रति ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें इस आशय का अनुदेश दिया गया था कि परिवार पेंशन के दावेदार को संबंध/रिश्ता की पात्र श्रेणी में आने वाली दोहरी शर्तों अर्थात् मृतक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा/विधुर/अविवाहित पुत्री/माता या पिता एवं उनका आश्रित हों, को पूरा करना चाहिए। साथ ही, यह भी सत्यापित किया जाना है कि ऐसे आश्रितों की आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। इस मंत्रालय के दिनांक 6.8.2014 के समसंख्यक पत्र के तहत परिचालित उक्त अनुदेशों को केन्द्रीय सम्मान पेंशन के वितरण संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों के पैरा 6 के माध्यम से दोहराया गया है। जिसका अनुपालन प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जाना है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों की उप-पैरा 6.1.2 के अनुसार, बैंक को यह अवश्य सुनिश्चित करना है कि आश्रित पेंशन स्वतंत्रता सैनिक की उस विवाहिता अथवा पुत्री को न स्वीकृत की जाए यदि वह -

(i) "विवाहिती/पुत्री पहले ही केन्द्र या राज्य सरकार, केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्थानीय निकाय में पहले ही नियोजित है।

(ii) यदि विवाहिती/पुत्री किसी निजी क्षेत्र में कार्य कर रही है या उसका अपना व्यवसाय/काम-काज है और इस प्रकार की नौकरी/काम-काज से उसकी आमदनी 20,000 रुपए प्रति माह से अधिक है।

(iii) विवाहिती/पुत्री को उसकी अपनी स्वयं की नौकरी की वजह से या दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के पूर्वनियोजन के फलस्वरूप वेतन/पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है।

स्पष्टीकरण -I :

मुख्य नियम के रूप में, यदि विवाहिता/पुत्री नौकरी या दिवंगत पति/पिता/माता की पूर्व नौकरी के कारण पहले ही वेतन/पेंशन (राज्य स्वतंत्रता सैनिक पेंशन को छोड़कर) उसकी अपनी प्राप्त करते हों तो ऐसी विवाहिता/पुत्री को केन्द्रीय स्वतंत्रता सैनिक पेंशन की स्वीकृति नहीं दी जाए।"

2. इस प्रकार, संशोधित नीतिगत दिशा-निर्देशों के पैरा 6.1.2 के अनुसार, सरकारी तथा निजी स्रोतों की आय की ऊपरी सीमा में एकरूपता नहीं थी। इस विसंगति को दूर करने के लिए इस विषय में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से विचार किया गया एवं अब 20,000 रुपए प्रति माह या 2,40,000 रुपए प्रति वर्ष, चाहे यह सरकार से हो या निजी स्रोत से, की एकरूप आय सीमा का समावेश करके संशोधित नीतिगत दिशा-निर्देश के उक्त पैरा 6.1.2 में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, संशोधित नीतिगत दिशा-निर्देश के पैरा 6.1.2 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

"6.1.2: बैंकों को इसे सुनिश्चित करना होगा कि स्वतंत्रता सैनिक की विवाहिता या पुत्री को आश्रित पेंशन स्वीकृत नहीं की जाती है यदि :-

30/12/15 P/2

(i) "विवाहिती/पुत्री पहले ही केन्द्र या राज्य सरकार, केन्द्र/राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय निकाय में पहले ही नियोजित है और ऐसी नौकरी/काम-काज से उसकी आय प्रतिमाह 20,000 रुपए या प्रतिवर्ष 2,40,000 रुपए से अधिक है।

(ii) यदि विवाहिती/पुत्री किसी निजी क्षेत्र में कार्य कर रही है या उसका अपना व्यवसाय/काम-काज है और इस प्रकार की नौकरी/काम-काज से उसकी आय प्रतिमाह 20,000 रुपए या प्रतिवर्ष आय 2,40,000 रुपए से अधिक है।

(iii) विवाहिती/पुत्री को उसकी अपनी नौकरी की वजह या दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के पूर्वनियोजन के फलस्वरूप वेतन/पेंशन प्राप्त हो रहा है और ऐसी नौकरी/काम-काज से उसकी प्रतिमाह आय 20,000 रुपए या प्रतिवर्ष 2,40,000 रुपए से अधिक है।

3. अतएव, सभी संबंधितों को इन अनुदेशों का विवेकपूर्ण तरीके से पालन करने हेतु अनुदेश जारी करने एवं पेंशन के अंतरण के समय तथा वार्षिक तौर पर जीवन प्रमाण-पत्र लेते समय, उनकी आय की राशि एवं स्रोत के विषय में स्वतंत्रता सैनिको के आश्रितों से प्रमाण-पत्र लेने का अनुरोध किया जाता है। सभी बैंकों को उन सभी मामलों की पुनसर्मीक्षा/पुनर्विचार करने का निदेश दिया जाता है जिनमें उपर्युक्त 2,40,000/- रुपए प्रति वर्ष (या 20,000/- रुपए प्रति माह) की आय सीमा को ध्यान में रखते हुए आश्रित विवाहिती /पुत्री द्वारा प्राप्त बहु-पेंशनों को आधार मानकर पेंशन को बंद कर दिया गया था । यदि वे पात्र पाए जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से पेंशन निर्मुक्त की जाए।

4. ऐसे मामलों , जिनमें मासिक/वार्षिक आय ऊपर निर्धारित सीमा से अधिक है , की सूचना पेंशनभोगियों को नोटिस/सूचना देने के साथ इस मंत्रालय को दी जाए (जिसे उस नोटिस में उल्लिखित किया जाए) तथा निर्धारित सीमा से अधिक आय होने की वजह से उनकी पेंशन को रोक दिया जाए।

(मीनू बत्रा) 30/12/11

उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. : 23438062
ईमेल : meenu.batra66@nic.in.

सेवा में

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी सीपीपीसी
2. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. मुख्य नियंत्रक (पेंशन), सैन्ट्रल पेंशन एकाउंटिंग कार्यालय (सीपीएओ), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
4. उपमहानिदेशक लेखा, महालेखा नियंत्रक (सी जी ए) का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, 7वां तल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
5. महानिदेशक (एसएमयू), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) का कार्यालय, पॉकेट-9, नई बिल्डिंग, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110024
6. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई), सैन्ट्रल ऑफिस, लेखा और व्यय विभाग, मुम्बई।
7. स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी अधिकारी।
8. स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी प्रोसेसिंग अनुभाग।
9. पेंशन वितरण निगरानी सेल (पीडीएमसी), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. प्रख्यात स्वतंत्रता सैनानियों की समिति के सभी सदस्य।
11. अनुभाग अधिकारी (आई टी), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(मीनू बत्रा) 30/12/11
उप सचिव, भारत सरकार
ईमेल: meenu.batra66@nic.in